कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
भोपाल

क्रमांक 8479 / तक / अ.य. / प्र.अ. / लो.स्वा.यां. / 05 भोपाल, दिनांक 17-10-05

तकनीकी परिपत्र

विषय:– नगरीय जल प्रदाय योजनाओं एवं नलजल योजना हेतु स्त्रोत की उपलब्धता के पश्चात ही योजना बनाने के संबंध मे ।

पिछले कुछ वर्षो से यह अनुभव किया जा रहा है कि नगरीय जल प्रदाय योजनाओं एवं नलजल योजनाओ हेतु जो सतही स्त्रोत अथवा नलकूप स्त्रोत प्रस्तावित किये जाते है उनकी जल आवक क्षमता का पूर्ण रूप से परीक्षण नही किया जाता है विशेषकर जहाँ नलकूपो को स्त्रोत के रूप मे प्रस्तावित किया जाता है उनकी जल आवक क्षमता का निर्धारित मापदण्डो के अनुसार परीक्षण नही किया जाता । यह भी देखने मे आया है कि कुछ योजना के विभिन्न अवयवो जैसे ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण / पंप हाउसो / उच्चस्तरीय टंकिया, राईजिंग मेन एवं जल वितरण नलिकाये बिछाने के कार्य तो पूर्ण हो गये है परन्तु इन योजनाओं के स्त्रोत उपलब्ध नही है । स्पष्ट है कि जो कार्य पूर्ण हो चुके है उनका उपयोग किया जाना संभव नही है इसप्रकार स्त्रोत का उपयुक्त चयन न करने पर विभाग को बहुत ही विचित्र स्थिति का सामाना करना पडता है जिससे विभाग की छवि उच्च अधिकारियो एवं जन सामान्य के बीच बहुत ही धूमिल होती है इस प्रकार की स्थिति निर्मित होने पर मुख्य तकनीकी परीक्षक एवं महालेखाकार द्वारा उठाये गये बिंदुओ का निराकरण करने मे भी बहुत दिक्कते आती है । अतः यह निर्देश दिये जाते है कि नगरीय जल प्रदाय योजनाओ एवं नल जल योजनाओं हेतु जल स्त्रोतो की सुनिश्चितता के उपरांत ही योजनाये बनाई जावे विशेषकर नलकूप पर आधारित योजनाएँ तब तक नही बनाई जाये जब तक स्त्रोत की उपलब्धता सुनिश्चित नही हो जाती । विभाग के पास सर्वेक्षण एवं अनुसंधान मद के अंतर्गत आवंटन उपलब्ध रहता है जिसमे से स्त्रोत चयन हेतु आवंटन दिया जा सकता है । भविष्य मे उपरोक्त निर्देशो का कड़ाई से पालन किया जावे ।

प्रमुख अभियन्ता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
भोपाल

क्रमांक 8479 / तक / अ.य. / प्र.अ. / लो.स्वा.या. / 05 भोपाल, दिनांक 17-10-05

प्रतिलिपि:–

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता, लो.स्वा.यां.विभाग
3. समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ।
4. समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ।
5. तकनीकी परिपत्र नस्ती ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

प्रमुख अभियन्ता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
भोपाल